निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड़

मि0नं0 34 / अपील / 21

उनवान अपील

भैरूलाल आ0 रामप्रताप दांगी नि0गरदनखेड़ी तहसील पिड़ावा (अपीलार्थी)

बनाम

01. अयोध्याबाई पत्नी बापूलाल दांगी नि0 गरदनखेड़ी तहसील पिड़ावा
02. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार पिड़ावा (प्रत्यर्थीगण)

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा
नामान्करण संख्या 1150 दिनांक 30.07.2021

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः— श्री पूरीलाल राठौर, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री अमितोष आचार्य, अभिभाषक रेस्पो0 1
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :—

दिनांकः 07.12.2021

यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार पिड़ावा के आदेश दिनांक 30.07.2021 जिसके द्वारा ग्राम गरदनखेडी की आराजी ख0न0 608 व 609 का नामान्तरकरण संख्या 1150 तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होकर पेश की है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमो में निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा ने नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। उपखण्ड अधिकारी के प्रकरण,आदेश कमांक तथा दिनांक का उल्लेख नही दिया। उक्त वर्णित आराजी के संबन्ध में अयोध्याबाई के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के दिनांक 31.07.2007 के बेचान के आधार पर खातेदारी घोषणा का दिनांक 03.03.2021 को प्रस्तुत किया था जिसको दिनांक 13.07.2021 को नोट प्रेस में खारिज करवाया गया है,इस वाद के खारिज होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोई आदेश खातेदारी अधिकार का नही है। अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार पिडावा का आदेश दिनांक 30.07.2021 अपास्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया। रेस्पो0 1 की और से अभिभाषक श्री अमितोष आचार्य व रेस्पो0 2 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मीमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि तहसीलदार पिड़ावा द्वारा दिनांक 30.07.2021 जिसके द्वारा ग्राम गरदनखेडी की आराजी ख0न0 608 व 609 का नामान्तरकरण संख्या 1150 तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होकर पेश की है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमो में निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा ने नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। उपखण्ड अधिकारी के प्रकरण,आदेश कमांक तथा दिनांक का उल्लेख नही दिया। उक्त वर्णित आराजी के संबन्ध में अयोध्याबाई के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के दिनांक 31.07.2007 के बेचान के आधार पर खातेदारी घोषणा का दिनांक 03.03.2021 को प्रस्तुत किया था जिसको दिनांक 13.07.2021 को नोट प्रेस में खारिज करवाया गया है,इस वाद के खारिज होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोई आदेश खातेदारी अधिकार का नही है। प्रार्थिया द्वारा

जिला कलक्टर
झालावाड़

दिनांक: 31.07.2007 को क्रय आराजी का बेचान कर्ता खातेदार की मृत्यु उपरान्त नामान्तरकरण 14 वर्ष असाधारण देरी से तस्दीक किया गया है जो खारिज योग्य है।

इस पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा व्यक्त किया कि रेस्पो0 की तहसीलदार द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है उपखण्ड अधिकारी के आदेश की अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष होती है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है अपील खारिज की जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने नामान्तरकरण संख्या 1150 ग्राम गरदनखेडी दिनांक 30.07.2021 को उचित बताया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रकरण में तहसीलदार पिड़ावा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दिनांक 31.07. 2007 को खातेदार रामप्रताप द्वारा केता अयोध्याबाई को ग्राम गरदनखेडी की आराजी ख0न0 608 व 609 का बैचान जर्ये रजि0 बैचान पत्र किया गया था,उक्त ख0न0 के रहन होने से नामान्तरकरण की कार्यवाही नही हो पाई । नामान्तरकरण स0 1136 दिनांक 15.06. 2021 से खाता रहन मुक्त हो जाने पर प्रार्थिया द्वारा उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा को प्रा0पत्र नामान्तरकरण हेतु प्रस्तुत करने पर बाद जांच नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से तहसीलदार पिड़ावा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की पुष्ठी होती है। अयोध्याबाई द्वारा दिनांक 31.07.2007 को जर्ये रजि0 बेचान पत्र आराजी का क्रय किया जाना किन्तु रहन होने से नामान्तरकरण तस्दीक ना होना व कब्जे के आधार पर उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के समक्ष खातेदारी हेतु दावा प्रस्तुत करना तो साबित है किन्तु उक्त दावा नामान्तरकरण संख्या 1136 दिनांक 15.06.2021 से खाता रहन मुक्त हो जाने पर नोट प्रेस में खारिज करवाया गया । प्रस्तुत रिपोर्ट में संलग्न प्रा0पत्र जो अयोध्याबाई द्वारा तहसीलदार पिड़ावा को दिनांक 02.03.2021 को नामान्तरकरण हेतु प्रस्तुत किया गया जिसको तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी को रिपोर्ट हेतु भिजवाया गया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.06.2021 को रिपार्ट की गई की विकेता रामप्रताप पिता धूला दांगी के फोत होने पर उसके वारिसान के नाम आराजी ख0न0 608,609 का नामान्तरकरण तस्दीक हो चुका है व आराजी रहन मुक्त हो गई है । उक्त रिपोर्ट को तहसीलदार पिड़ावा द्वारा उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा को दिनांक 05.07.2021 को भिजवाया गया व उक्त तहसीलदार के पत्र पर ही उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा द्वारा " प्रकरण संख्या 22/2021 दिनांक 04.03.2021 उपखण्ड न्यायालय में विचाराधिन था जिसका निस्तारण Not Press में दिनांक 13.07.2021 को किया गया।खाता रहन मुक्त होने से नियमानुसार नामा0की कार्यवाही करें" दिनांक 14.07.2021 को अंकन किया । इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा द्वारा पारित आदेश की पालना में ग्राम गरदनखेडी की आराजी ख0न0 608,609 का नामान्तरकरण संख्या 1150 दिनांक 30.07.2021 को तस्दीक होना साबित है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील के माध्यम से अपीलान्ट को कोई राहत प्रदान नही की जा सकती। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़